

13/02/2024

पत्रावली पैदा हुई। बकील उभयपक्ष  
 हाजिर हैं। बकील उभयपक्ष द्वारा  
 प्रस्तुत बहस पुनः सुनी गई। पत्रावली  
 पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, जमाबंदी,  
 तमसीखत इत्यादि का विधि सम्मर  
 गहन अवलोकन व मनन किया गया।  
 प्रस्तुत बहस पर मनन उपरान्त यह  
 स्पष्ट होना है कि शलिकादी संस्था  
 1. लगायत 8 का बाद बगीचा आराबियाह  
 से कोई संबंध नहीं है। अतः बाद  
 बदीखन का मुताबिक राजीनामा दिनांक  
 01-04-2009 के डिक्ली किया जाना  
 व्यापकित है।  
 अतः बाद बदी को स्वीकार किया  
 जाकर ऑर्डर डिक्ली किया जाता है।  
 विस्तृत विषय पृथक से टैकिल किया  
 जाकर शामिल मिल किया जावे।  
 तद्वरि इस बाबत पृथक से जारी  
 हो। पत्रावली फंसल सुमार की  
 जाकर बाद तकमील हाखिल बपतर  
 हो। विषय सुनामा आकर केरे  
 हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से  
 जारी किया गया।

Mu.  
 उपखण्ड अधिकारी  
 साँभर लेख

